भाकृअनुप–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान
जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर – 208 002
(उत्तर प्रदेश)
An ISO 9001:2015 Certified

(O) : (0512) 2533560, 2554746
Fax : (0512) 2533560, 2554746
Website : http://atarik.res.in
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

दि. 07–10–2020

कृषि एक्ट से सम्बन्धित बैठक के प्रमुख बिन्दु

आज दि. 07–10–2020 को नये कृषि एक्ट से सम्बन्धित बैठक कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें 590 कृषि विज्ञान केन्द्रों ने भाग लिया। बैठक में अटारी निदेशक, निदेशक प्रसार, केवीके अध्यक्ष, सचिव डेयर व महानिदेशक भाकृअनुप, उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार), संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय उपस्थित रहे। बैठक के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

महानिदेशक भाकृअनुप नई दिल्ली– किसानों को फायदा पहुँचाना उत्पाद का ज्यादा मूल्य दे सकता है। सूचना पहुँचाना हमारा काम है। जो नये एक्ट आये हैं उनकी सही जानकारी किसानों तक पहुँचे। एक्ट को अच्छे से पढ़ कर समझ लें। अच्छे तरह से पढ़िये जिससे किसान को कोई गलत जानकारी न मिले और वह भ्रमित न हो। तकनीक के साथ ही साथ एक्ट की भी जानकारी किसानों को दें। स्थानीय भाषा में अनुवाद करके बता सकते हैं। कितने किसानों से वार्तालाप किया इसकी जानकारी उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) को दें।

माननीय कृषि मंत्री–

- किसानों तक आडियो–वीडियो के माध्यम से भी एक्ट सम्बन्धित जानकारी पहुँचायें।
- किसान अच्छे रेट पर मंडी में या बाहर अपनी फसल बेच सकते हैं।
- आनलाइन भी फसल बेच सकते हैं। किसानों को एम.एस.पी. मिलेगा।
- खरीददारी हेतु व्यपारी सीधा किसान से सम्पर्क करेगा व खेत पर किसान के पास आयेगा। ।
- डिलीवरी के बाद भुगतान हो जायेगा।
- **योजनायें–** इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड, को–ऑपरेशन सोसायटीज, एफ.पी.ओ. पी.एच.एम.
- एम.एस.पी. पर अथवा एम.सी.पी. से अधिक मूल्य पर मंडी या मंडी के बाहर उत्पाद बेचा जा सकता है।
- अनुबंध की अवधि– एक फसल चक्र/एक वर्ष/5 वर्ष तक होगी।
- क्वालिटी चेक हेतु तृतीय पक्ष (केवीके/वैज्ञानिक) द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।
- प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की स्थिति में किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- फसलों के बीमा से नुकसान से बचाव होगा।
- मंडी के बाहर खरीद हेतु खरीददार के पास पैन कार्ड होना चाहिए न कि किसान के।
- किसानों के लिये खरीददारों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- किसान अपनी मर्जी से मूल्य तय कर सकते हैं।
- किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा यदि व्यापारी द्वारा कोई नियम उल्लंघन होने पर किसान कानूनी मदद ले सकता है।

उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) भाकृअनुप नई दिल्ली–

- योजनाओं की जानकारी कृषि विज्ञान केन्द्रों को हो।
- गैलरी में बैनर आदि के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी दी जाये।
- बिल की विशेषताओं को होर्डिंग्स व चार्ट के माध्यम कृषि विज्ञान केन्द्र पर बतायें।
- पम्पलेट आदि के माध्यम से भी जानकारी का प्रसार करें।
- केवीके जिले के ऐसे केन्द्र बनें जहाँ किसान कृषि से सम्बन्धित जानकारी के लिये अधिक से अधिक आयें।
- लिखित जानकारी भी किसान के पास पहुँचे।
- अगली बैठक 5 दिनों के बाद फिर होगी जिसमें क्या कार्यवाही की इसकी जानकारी कृषि विज्ञान केन्द्रों को देनी होगी।

आपकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।